Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

मार्च (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी पदों के लिये राजस्थान के 2 संतान के नियम को बनाये रखा 3
- राजस्थान को मिलेगा यमुना का जल 3
- तेजस राजस्थान में जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया 4
- मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये मुफ्त बीज 5
- राजस्थान ने शहरी रोज़गार योजना का नए नगर निकायों तक विस्तार किया 6
- राजस्थान सरकार: आर्थिक वृद्धि के लिये अभिनव पर्यटन नीति 7
- ESIC राजस्थान में उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा 8
- राजस्थान के सात शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएँगी 8
- राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये 9
- तेजस राजस्थान में जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया 9
- मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये मुफ्त बीज 10
- केंद्र ने राजस्थान में सड़क विकास के लिये 972 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी 11
- राजस्थान ने रामगढ़ क्रेटर को भारत के पहले भू-विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी 11
- राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कई सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं की घोषणा की 13
- व्यापार संगठनों ने राजस्थान सरकार से निवेश नीतियों में बदलाव करने का आग्रह किया 13
- राजस्थान के समुदायों पर ज़मीन खोने का खतरा 14
- ट्रांसमिशन लाइनों से प्रतिबंध हटाने पर विचार 15
- सिंगापुर के राष्ट्रपति जोधपुर पहुँचे 16
- राजस्थान में विश्व का पहला 'ॐ' आकार का मंदिर 17
- अडानी ग्रीन ने राजस्थान में 180 मेगावाट का सौर संयंत्र शुरू किया 18
- गुलाल गोटा 19

नोट :

राजस्थान

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी पदों के लिये राजस्थान के 2 संतान के नियम को बनाये रखा

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोज़गार पाने के लिये राजस्थान सरकार के दो संतान की पात्रता मानदंड को बरकरार रखा है तथा निर्णय सुनाया है कि यह भेदभावपूर्ण नहीं है और ना ही संविधान का उल्लंघन नहीं करता है।

मुख्य बिंदु:

- राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2001 उन उम्मीदवारों को सरकारी पद पाने से रोकता है जिनकी दो से अधिक संतान हैं।
  - शीर्ष न्यायालय ने दो-संतान के मानदंड को बरकरार रखते हुए पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने वर्ष 2017 में सेना से सेवानिवृत्ति के बाद 25 मई, 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिये आवेदन किया था।
  - पीठ ने कहा कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4), जो कहता है कि "कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, जिसके 1 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक संतान हैं, यह भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता।
- न्यायालय ने माना कि वर्गीकरण, जो दो से अधिक जीवित संतान होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है, गैर-भेदभावपूर्ण और संविधान के दायरे से बाहर है, क्योंकि प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना था।

राजस्थान को मिलेगा यमुना का जल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को हरियाणा के साथ वर्ष 1994 के समझौते में निर्दिष्ट आवंटन के अनुसार यमुना के जल में हिस्सा मिलेगा।

मुख्य बिंदु:

- हरियाणा और राजस्थान ने हाल ही में भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से हरियाणा के हथिनीकुंड से राजस्थान के हिस्से के यमुना जल के हस्तांतरण तथा झुंझुनू एवं चुरू जैसे क्षेत्रों में इसके उपयोग के लिये संयुक्त रूप से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- 17 फरवरी 2024 को हरियाणा और राजस्थान के CM के बीच एक बैठक के बाद समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए।
- 12 मई, 1994 को सह-बेसिन राज्यों के बीच जल हिस्सेदारी आवंटित करने वाले MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद से जल बँटवारे का मुद्दा दो दशकों से अधिक समय से विवाद का विषय रहा है।

सतलुज-यमुना लिंक नहर

- यह मुद्दा वर्ष 1981 के एक विवादास्पद जल-बँटवारे समझौते से उपजा है, जब वर्ष 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था।
- पंजाब:
  - पंजाब पड़ोसी राज्यों के साथ किसी भी अतिरिक्त जल के बँटवारे का कड़ा विरोध करता है। वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पंजाब में अतिरिक्त जल की कमी है और पिछले कुछ वर्षों में उनके जल आवंटन में कमी हुई है।
  - वर्ष 2029 के बाद पंजाब के कई क्षेत्रों में जल समाप्त हो सकता है तथा सिंचाई के लिये राज्य पहले ही अपने भूजल का अत्यधिक दोहन कर चुका है क्योंकि गेहूँ और धान की खेती करके यह केंद्र सरकार को प्रत्येक वर्ष लगभग 70,000 करोड़ रुपए मूल्य का अन्न भंडार उपलब्ध कराता है।

नोट :

- राज्य के लगभग 79% क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन है और ऐसे में सरकार का कहना है कि किसी अन्य राज्य के साथ पानी साझा करना असंभव है।

- हरियाणा:
  - पंजाब, हरियाणा के हिस्से का जल उपयोग कर रहा है, इसलिये हरियाणा बढ़ते जल संकट का हवाला देते हुए नहर के कार्य को पूरा करने की मांग करता है।
  - हरियाणा का तर्क है कि राज्य में सिंचाई के लिये जल उपलब्ध कराना कठिन है और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में पीने के पानी की समस्या है जहाँ भूजल स्तर 1,700 फीट तक कम हो गया है।
  - हरियाणा केंद्रीय खाद्य पूल (Central Food Pool) में अपने योगदान का हवाला देता रहा है और तर्क देता है कि एक न्यायाधिकरण द्वारा किये गए मूल्यांकन के अनुसार उसे उसके जल के उचित हिस्से से वंचित किया जा रहा है।

यमुना नदी

- यमुना नदी उत्तर भारत में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है।
  - यह विश्व के व्यापक जलोढ़ मैदानों में से एक यमुना-गंगा मैदान का एक अभिन्न भाग है।
- स्रोत: इसका स्रोत निचली हिमालय पर्वतमाला में बंदरपूँछ शिखर के दक्षिण-पश्चिमी किनारों पर 6,387 मीटर की ऊँचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर में स्थित है।
- बेसिन: यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम (जहाँ कुंभ मेला आयोजित होता है) स्थल पर गंगा में मिल जाती है।
- महत्त्वपूर्ण बाँध: लखवार-व्यासी बाँध (उत्तराखंड), ताजेवाला बैराज बाँध (हरियाणा) आदि।
- महत्त्वपूर्ण सहायक नदियाँ: चंबल, सिंध, बेतवा और केन।
- यमुना नदी से संबंधित सरकारी पहल:
  - यमुना एक्शन प्लान
  - फरवरी 2025 तक यमुना को साफ करने के लिये दिल्ली सरकार की छह सूत्री कार्य योजना

तेजस राजस्थान में जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक हल्का लड़ाकू विमान तेजस एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान राजस्थान के जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्वदेश निर्मित जेट से जुड़ी यह पहली ऐसी घटना है।

- पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और कोई हताहत नहीं हुआ।

मुख्य बिंदु:

- दुर्घटना पोखरण रेगिस्तान से लगभग 100 किमी. दूर हुई, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में एक मेगा युद्ध खेल 'भारत शक्ति' चल रहा था।
- सैन्य सूत्रों ने संकेत दिया कि तेजस जेट को इस अभ्यास का हिस्सा बनना था।
- तेजस विमान हवाई युद्ध और आक्रामक हवाई सहायता मिशनों के लिये एक शक्तिशाली मंच है, जबकि टोही तथा जहाज़-रोधी अभियान इसकी माध्यमिक भूमिकाएँ हैं।
- इसका निर्माण सरकारी एयरोस्पेस दिग्गज हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा किया गया है।
- फरवरी 2021 में, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना के लिये 83 तेजस MK-1A जेट की खरीद हेतु हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया।

नोट :

भारत शक्ति

- यह सेना, वायु सेना और नौसेना की मारक क्षमता का प्रदर्शन करने वाला एक महत्त्वपूर्ण त्रि-सेवा अभ्यास है।
- पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत-शक्ति नाम के अभ्यास में।
- इस अभ्यास में केवल स्वदेशी रूप से विकसित हथियार प्लेटफॉर्म और सिस्टम शामिल हैं।
- अभ्यास में CDS जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए।
- इस अभ्यास के दौरान आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना देखने को मिली।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)

- यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय बैंगलोर में है।
- 23 दिसंबर 1940 को स्थापित, HAL विश्व के सबसे पुराने, सबसे बड़े एयरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है।
- यह रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के तहत शासित होता है।

मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये मुफ्त बीज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने कदन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये राज्य के किसानों को कदन्न/मिलेट्स और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- राज्य सरकार 12 लाख किसानों को मक्का के बीज, 800,000 किसानों को बाजरा के बीज, 700,000 किसानों को सरसों के बीज, 400,000 किसानों को मूंग के बीज और 100,000 किसानों को ज्वार तथा मोठ के बीज की मुफ्त मिनी किट प्रदान करेगी।
  - देश के कुल कदन्न उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 26% है।
  - बाजरा और ज्वार राज्य में उत्पादित मुख्य कदन्न फसलें हैं तथा देश का 41% बाजरा उत्पादन राजस्थान में होता है।
- राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन शुरू किया था और किसानों, उद्यमियों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा 100 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिये 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था।
- पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति किसान प्रतिवर्ष कर दी गई है, जबकि गेहूँ पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

राजस्थान मिलेट संवर्धन मिशन

- राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022 में इसकी घोषणा की गई थी।
- इस मिशन के तहत जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के तहत मिलेट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिये प्रावधान किये गए हैं, ताकि उन्नत किस्मों के मुफ्त बीज, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बायो-इक्टिकाइड किट का रियायती दर पर वितरण, मिलेट्स की प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अनुदान, बाजरा तथा अन्य मिलेट्स के संशोधन के लिये प्रोत्साहन तथा छोटे व सीमांत किसानों को नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान की जा सके।
- ज्ञातव्य है कि मिलेट्स के अंतर्गत रागी, कांगनी, सावां, चीना, कोदो एवं कुटकी फसलें सम्मिलित हैं। उनकी पोषण गुणवत्ता के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तावित किये गए हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

- PM-KISAN को वर्ष 2019 में 24 फरवरी को लॉन्च किया गया था।
- यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- योजना के तहत, केंद्र प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि तीन समान किस्तों में सीधे सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है, चाहे उनकी भूमि जोत का आकार कुछ भी हो।

नोट :

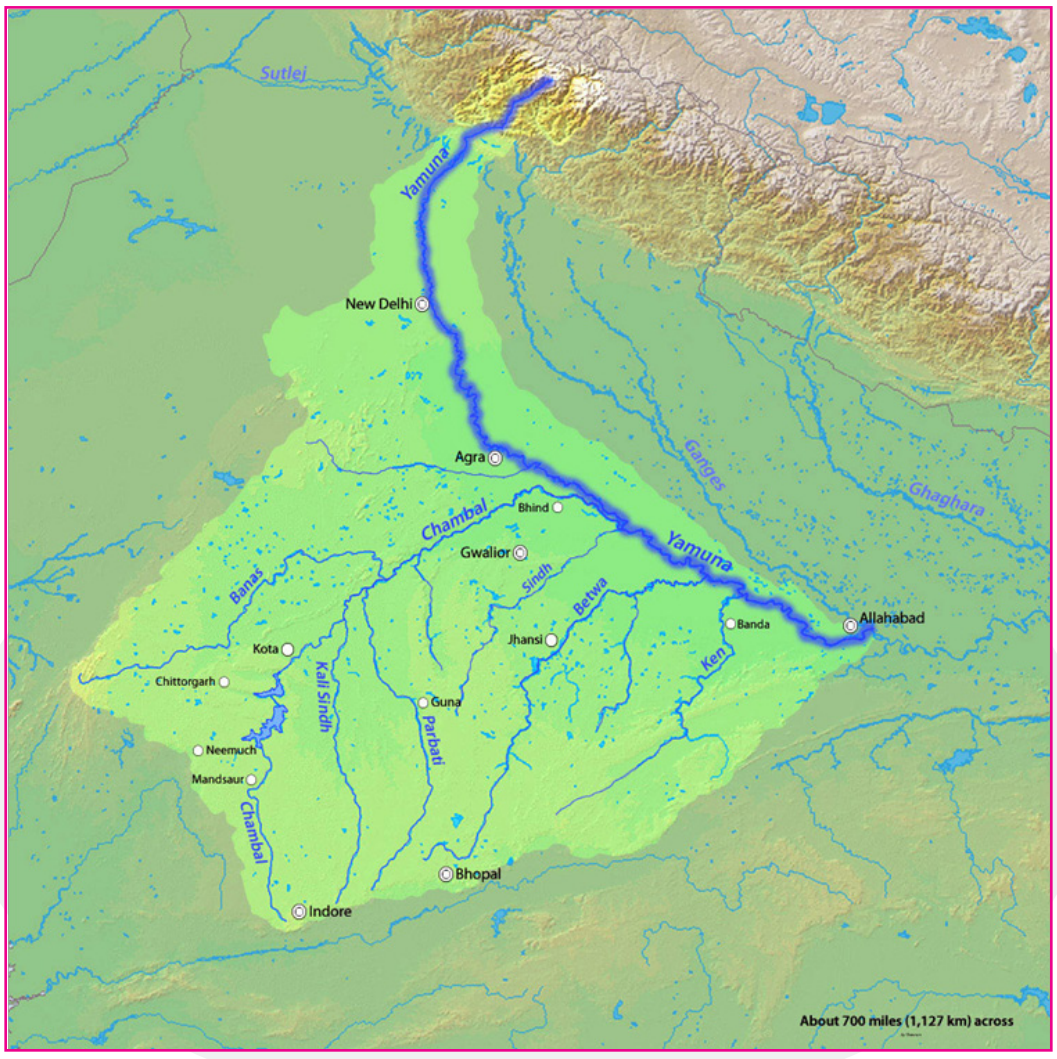

राजस्थान ने शहरी रोज़गार योजना का नए नगर निकायों तक विस्तार किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ग्राम पंचायतों को शहरी स्थानीय निकायों में परिवर्तित करने के बाद रोज़गार के अवसर खो चुके ग्रामीणों के लिये एक बड़ी जीत में, राजस्थान सरकार 42 नव-निर्मित नगर परिषदों में शहरी रोज़गार गारंटी योजना शुरू करने पर सहमत हुई है।

मुख्य बिंदु:

- नगर परिषदों में गारंटीकृत रोज़गार कार्य: स्थानीय स्वशासन विभाग ने 27 ज़िलों में नवगठित नगर परिषदों में गारंटीकृत रोज़गार कार्य शुरू किये हैं। अधिकारियों के नियमित पद सृजित होने तक परिषदों के निकटतम शहरी निकायों को प्रभारी के रूप में नामित किया जाता है।
- ग्रामीणों की चिंताएँ: पिछले वर्ष जुलाई में शहरी स्थानीय निकायों में परिवर्तित ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत कार्य रोक दिया गया था, जिससे ग्रामीण प्रभावित हुए जो आजीविका के लिये इस योजना पर निर्भर थे।
- अनिश्चितकालीन धरना: रोज़गार कार्यों को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जनवरी के अंत में भीम में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया

नोट :

- राजस्थान असंगठित मज़दूर संघ की भूमिका: आंदोलन का नेतृत्व मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) से जुड़े राजस्थान असंगठित मज़दूर संघ ने किया था, जो सूचना के अधिकार आंदोलन में अपनी भूमिका के लिये जाना जाता है।
- शहरी रोज़गार गारंटी योजना: सितंबर 2022 में कॉन्ग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को सालाना 100 दिन का कार्य देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- ज्ञापन प्रस्तुत: प्रतिभागियों ने खंड विकास अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भीम नगर परिषद में शीघ्र जॉब कार्ड जारी करने और कार्य आवंटन का आग्रह किया गया।
- कार्यों के प्रकार: योजना के तहत कार्यों में वृक्षारोपण, तालाब की सफाई, कचरा संग्रहण, पृथक्करण और आवारा जानवरों को पकड़ना शामिल है।

शहरी रोज़गार गारंटी योजना

- पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर शहरी रोज़गार गारंटी योजना, शहरों में रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये सितंबर 2022 में राजस्थान राज्य में शुरू की गई थी।
- योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोज़गार प्रदान किया जाएगा।
- राजस्थान सरकार ने इसे वर्ष 2006 में केंद्र में शुरू की गई ग्रामीणों के लिये मनरेगा की तर्ज पर शहरों में रहने वाले लोगों को गारंटीकृत रोज़गार देने वाली देश की सबसे बड़ी योजना बताया था।
- शहरी स्थानीय निकायों की सीमा के भीतर रहने वाले 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग चिह्नित क्षेत्रों में रोज़गार मांगने और प्राप्त करने के पात्र हैं।

राजस्थान सरकार: आर्थिक वृद्धि के लिये अभिनव पर्यटन नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये एक नई नीति की घोषणा करने की योजना बना रही है, जिसमें आवासीय क्षेत्रों में होटलों को नियमित करना और हेरिटेज रेस्तरां को बार लाइसेंस देने के नियमों में बदलाव शामिल हो सकता है।

मुख्य बिंदु:

- क्षेत्रों में होटलों का नियमितीकरण: नीति का उद्देश्य राज्य में होटल उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करते हुए आवासीय क्षेत्रों में चल रहे होटलों को नियमित करना है।
- हेरिटेज रेस्तरां के लिये बार लाइसेंसिंग में बदलाव: हेरिटेज रेस्तरां को बार लाइसेंस देने के नियमों में समायोजन किया जाएगा।
- पर्यटन क्षेत्र में सर्विस अपार्टमेंट को शामिल करना: यह नीति संभवत: सर्विस अपार्टमेंट को पर्यटन क्षेत्र से जोड़ेगी, जिससे पर्यटकों के लिये आवास विकल्पों का विस्तार होगा।
- पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में रिसॉर्ट्स खोलना: पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में रिसॉर्ट्स खोलने की अनुमति देने के लिये मास्टर प्लान में बदलाव प्रस्तावित हैं, जिससे संभावित रूप से स्थायी पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- अन्य विभागों के साथ सहयोग: राज्य सरकार नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये अन्य विभागों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है।
- ग्रामीण पर्यटन, गेस्ट हाउस और हेरिटेज रेस्तरां: नई नीति में ग्रामीण पर्यटन, गेस्ट हाउस विनियमन और हेरिटेज रेस्तरां के लिये समर्थन के प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
- टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों की भागीदारी: इस बार, नीति का उद्देश्य व्यापक हितधारक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इसके निर्माण में टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों को शामिल करना है।
- महत्त्वपूर्ण स्थलों, मेलों और त्योहारों का विकास: नीति महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के विकास के लिये रणनीतियों की रूपरेखा तैयार कर सकती है, साथ ही पर्यटन के अनुभवों को बढ़ाने हेतु मेलों और त्योहारों के लिये समर्थन भी दे सकती है।

नोट :

ESIC राजस्थान में उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की स्थायी समिति की 231वीं बैठक में अलवर, राजस्थान में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य बिंदु:

- अलवर में एक नए ESI उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना से अलवर, खैरथल-तिजारा, कोथपुतिली-बहरोड़, भरतपुर और डीग ज़िलों में रहने वाले लगभग 12 लाख बीमित श्रमिक एवं ESIC योजना के लाभार्थी लाभान्वित होंगे।
- बैठक के दौरान हारोहल्ली, नरसापुरा, बोम्मासंद्रा (कर्नाटक), मेरठ, बरेली (उत्तर प्रदेश), पीथमपुर (मध्य प्रदेश) और डुबुरी (ओडिशा) में 7 नए ESI अस्पतालों के निर्माण के लिये कुल अनुमानित लागत 1128.21 करोड़ रुपए को भी स्वीकृति दी गई।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

- भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक बहुआयामी सामाजिक प्रणाली है जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) योजना के तहत आने वाले श्रमिक आबादी और तत्काल आश्रित या परिवार को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- ESI कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में सन्निहित सामाजिक बीमा का एक एकीकृत उपाय है।
- ESI को कर्मचारियों को रोगों, मातृत्व, दिव्यांगता और रोज़गार की चोट के कारण मृत्यु की घटनाओं के प्रभाव से बचाने एवं बीमित व्यक्तियों व उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के कार्य को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- योजना का कवरेज:
  - ESI योजना कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होती है। सड़क परिवहन, होटल, रेस्तरां, सिनेमा, समाचार पत्र, दुकानें और शैक्षिक/चिकित्सा संस्थान जहाँ 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं।
    - हालाँकि कुछ राज्यों में प्रतिष्ठानों के कवरेज की सीमा अभी भी 20 है।
  - उपरोक्त श्रेणियों के कारखानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो प्रति माह 15,000/- रुपए तक वेतन लेते हैं, ESI अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवर के हकदार हैं।
    - हालाँकि ESI कॉर्पोरेशन ने ESI अधिनियम के तहत कर्मचारियों के कवरेज के लिये वेतन सीमा को 15,000/- रुपए से बढ़ाकर 21,000/- रुपए करने का भी निर्णय लिया है।
  - ESI कॉरपोरेशन ने 1 अगस्त, 2015 से ESI योजना के तहत कार्यान्वित क्षेत्रों में स्थित निर्माण स्थलों पर तैनात श्रमिकों को ESI योजना का लाभ दिया है।
    - ESI योजना ज़िलेवार लागू की गई है।
    - अब इसे 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 526 ज़िलों में अधिसूचित किया गया है।

राजस्थान के सात शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएँगी

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, राजस्थान के सात शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिये जल्द ही 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएँगी, जिसमें वायु प्रदूषण को कम करने, यात्रियों के लिये सुविधा बनाने और ईंधन की खपत को कम करने पर ज़ोर दिया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- बसों का संचालन और रखरखाव स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा।
- यह बसें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में चलेंगी।
- सबसे ज़्यादा 300 बसें जयपुर में और उसके बाद 70 बसें जोधपुर में संचालित की जाएँगी।
- इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने से शहरों में नेटवर्क मज़बूत होगा और शहरी जीवन स्तर में सुधार होगा।
- बजटीय घोषणा को बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिये पहल के माध्यम से लागू किया जाएगा।

नोट :

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड

- कन्वर्जेंस विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) समूह का एक हरित ऊर्जा केंद्रित उद्यम है।
- यह ऐसे हस्तक्षेपों की प्रस्तुति करता है जो विद्युत, परिवहन, घरेलू उपकरणों जैसे प्रतीत होने वाले स्वतंत्र क्षेत्रों को मिलाकर और सरकारी भागीदारी एवं कार्बन बाज़ारों जैसे अभिनव वित्तपोषण के माध्यम से बड़े पैमाने पर अनुकूलन के लिये मॉडल पेश करके ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में कई समस्याओं को सुलझाते हैं।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

- यह नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC) लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और पावरग्रिड का एक संयुक्त उद्यम है, इसे ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा के लिये विद्युत मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था।
- EESL एक सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी (ESCO) है जो भारत में 74,000 करोड़ रुपए के अनुमानित ऊर्जा दक्षता बाज़ार को खोलना चाहती है, जिसके परिणामस्वरूप नवीन व्यवसाय और कार्यान्वयन मॉडल के माध्यम से वर्तमान खपत की 20% तक ऊर्जा बचत हो सकती है।
- यह राज्य डिस्कॉम, वित्तीय संस्थानों आदि के क्षमता निर्माण के लिये संसाधन केंद्र के रूप में भी कार्य करता है।

राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने, ऊर्जा पारेषण प्रणाली को मज़बूत करने और राज्य में थर्मल एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिये नई परियोजनाएँ स्थापित करने हेतु 1.60 लाख करोड़ रुपए के 5 समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु:

- आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिये 1.60 लाख करोड़ रुपए के निवेश हेतु राज्य के 3 विद्युत निगमों और 6 केंद्रीय उपक्रमों के शीर्ष अधिकारियों के बीच 6 MOU पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जिसमें विद्युत उत्पादन की विभिन्न परियोजनाएँ शामिल हैं।
- इन समझौतों के तहत:
  - 3325 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाओं के लिये राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाएँगे।
  - प्रदेश में विद्युत ट्रांसमिशन सिस्टम को मज़बूत करने के लिये राजस्थान विद्युत ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बीच 10 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश का समझौता होगा।
  - 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति के लिये राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और SJVN ग्रीन एनर्जी के बीच एक विद्युत खरीद समझौते (PPA) पर भी हस्ताक्षर किये जाएँगे।
  - बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के विकास के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और राज्य सरकार के बीच एक MOU होगा।

तेजस राजस्थान में जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक हल्का लड़ाकू विमान तेजस एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान राजस्थान के जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्वदेश निर्मित जेट से जुड़ी यह पहली ऐसी घटना है।

- पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और कोई हताहत नहीं हुआ।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- दुर्घटना पोखरण रेगिस्तान से लगभग 100 किमी. दूर हुई, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में एक मेगा युद्ध खेल 'भारत शक्ति' चल रहा था।
- सैन्य सूत्रों ने संकेत दिया कि तेजस जेट को इस अभ्यास का हिस्सा बनना था।
- तेजस विमान हवाई युद्ध और आक्रामक हवाई सहायता मिशनों के लिये एक शक्तिशाली मंच है, जबकि टोही तथा जहाज़-रोधी अभियान इसकी माध्यमिक भूमिकाएँ हैं।
- इसका निर्माण सरकारी एयरोस्पेस दिग्गज हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा किया गया है।
- फरवरी 2021 में, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना के लिये 83 तेजस MK-1A जेट की खरीद हेतु हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया।

भारत शक्ति

- यह सेना, वायु सेना और नौसेना की मारक क्षमता का प्रदर्शन करने वाला एक महत्त्वपूर्ण त्रि-सेवा अभ्यास है।
- पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत-शक्ति नाम के अभ्यास में।
- इस अभ्यास में केवल स्वदेशी रूप से विकसित हथियार प्लेटफॉर्म और सिस्टम शामिल हैं।
- अभ्यास में CDS जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए।
- इस अभ्यास के दौरान आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना देखने को मिली।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)

- यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय बैंगलोर में है।
- 23 दिसंबर 1940 को स्थापित, HAL विश्व के सबसे पुराने, सबसे बड़े एयरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है।
- यह रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के तहत शासित होता है।

मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये मुफ्त बीज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने कदन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये राज्य के किसानों को कदन्न/मिलेट्स और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- राज्य सरकार 12 लाख किसानों को मक्का के बीज, 800,000 किसानों को बाजरा के बीज, 700,000 किसानों को सरसों के बीज, 400,000 किसानों को मूंग के बीज और 100,000 किसानों को ज्वार तथा मोठ के बीज की मुफ्त मिनी किट प्रदान करेगी।
  - देश के कुल कदन्न उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 26% है।
  - बाजरा और ज्वार राज्य में उत्पादित मुख्य कदन्न फसलें हैं तथा देश का 41% बाजरा उत्पादन राजस्थान में होता है।
- राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन शुरू किया था और किसानों, उद्यमियों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा 100 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिये 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था।
- पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति किसान प्रतिवर्ष कर दी गई है, जबकि गेहूँ पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

राजस्थान मिलेट संवर्धन मिशन

- राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022 में इसकी घोषणा की गई थी।

नोट :

- इस मिशन के तहत जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के तहत मिलेट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिये प्रावधान किये गए हैं, ताकि उन्नत किस्मों के मुफ्त बीज, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बायो-इक्टिकाइड किट का रियायती दर पर वितरण, मिलेट्स की प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अनुदान, बाजरा तथा अन्य मिलेट्स के संशोधन के लिये प्रोत्साहन तथा छोटे व सीमांत किसानों को नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान की जा सके।
- ज्ञातव्य है कि मिलेट्स के अंतर्गत रागी, कांगनी, सावां, चीना, कोदो एवं कुटकी फसलें सम्मिलित हैं। उनकी पोषण गुणवत्ता के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तावित किये गए हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

- PM-KISAN को वर्ष 2019 में 24 फरवरी को लॉन्च किया गया था।
- यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- योजना के तहत, केंद्र प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि तीन समान किस्तों में सीधे सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है, चाहे उनकी भूमि जोत का आकार कुछ भी हो।

केंद्र ने राजस्थान में सड़क विकास के लिये 972 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में सड़कों को चौड़ा करने के लिये 972.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी।

मुख्य बिंदु:

- यह राशि 31 प्रमुख ज़िला सड़कों और राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण कार्य के लिये स्वीकृत की गई है।
- केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष (CRIF) सेतु बंधन योजना के तहत विभिन्न ज़िलों में 7 रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज/फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिये 384.56 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये हैं।

सेतु बंधन योजना

- "सेतु बंधन योजना" सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्य की सड़कों पर रेल ओवर ब्रिज (ROBs), रेल अंडर ब्रिज (RUBs) तथा अन्य पुलों के निर्माण कार्य को सुविधाजनक बनाना है।
- यह कार्यक्रम मौजूदा क्रॉसिंग/समपारों के स्थान पर पुलों का निर्माण कर सड़क सुरक्षा में वृद्धि करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जिससे अंतत: इन स्थानों पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष (CRIF)

- केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष (जिसे पहले सेंट्रल रोड फंड के नाम से जाना जाता था) की स्थापना वर्ष 2000 में केंद्रीय सड़क कोष अधिनियम, 2000 के तहत की गई थी।
- इस फंड में पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क के साथ लगाया गया उपकर शामिल है।
- CRIF वित्त मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है।
- पहले यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन था।

राजस्थान ने रामगढ़ क्रेटर को भारत के पहले भू-विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने बारां ज़िले में 165 मिलियन वर्ष पहले उल्का प्रभाव के कारण बने 3 किलोमीटर व्यास वाले रामगढ़ क्रेटर को आधिकारिक तौर पर देश के पहले भू-विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- रामगढ़ क्रेटर अपनी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, जैवविविधता, स्थानीय समुदायों और समाज के लिये सांस्कृतिक तथा विरासत मूल्य के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - यह महत्त्व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत घोषित संरक्षण रिज़र्व अर्थात् रामगढ़ संरक्षण रिज़र्व के रूप में इसकी स्थिति से परिलक्षित होता है।
- राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के अनुसार, क्रेटर के अंदर स्थित पुष्कर तालाब खारे और क्षारीय जल दोनों का स्रोत है, जो क्षेत्र की सुंदरता तथा विविधता को बढ़ाता है।
  - इन झीलों को वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत वेटलैंड के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- रामगढ़ क्रेटर एक सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर मानवीय मूल्यों के महत्त्वपूर्ण आदान-प्रदान को प्रदर्शित करता है, जो वास्तुकला या प्रौद्योगिकी, स्मारकीय कला, नगर-योजना या परिदृश्य डिज़ाइन के विकास में परिलक्षित होता है।
  - खजुराहो में चंदेल राजवंश और उनके मंदिरों से प्रभावित भांड देव मंदिर, इस तरह के आदान-प्रदान का एक उदाहरण है।
  - उल्का प्रभाव क्रेटर पर इसका निर्माण इसकी विशिष्टता और महत्त्व को बढ़ाता है।

रामगढ़ क्रेटर

- यह राजस्थान में बारां ज़िले के रामगढ़ गाँव के निकट स्थित विंध्य पर्वत श्रृंखला के कोटा पठार में 3.5 किलोमीटर व्यास का एक उल्का प्रभाव क्रेटर है।
- इसे औपचारिक रूप से भारत में तीसरे क्रेटर के रूप में स्वीकार किया गया है, इसके व्यास का आकार भारत में पहले से ही पुष्टि किये गए दो क्रेटरों के बीच होगा, मध्य प्रदेश में ढाला (14 किमी व्यास) और महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले में लोनार (1.8 किमी व्यास)।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- यह अधिनियम उन पौधों और जानवरों की अनुसूचियों को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार द्वारा अलग-अलग स्तर की सुरक्षा तथा निगरानी प्रदान की जाती है।

नोट :

- वन्यजीव अधिनियम ने CITES (वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) में भारत के प्रवेश को सरल बना दिया था।
- इससे पहले जम्मू-कश्मीर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के दायरे में नहीं आता था। लेकिन अब पुनर्गठन अधिनियम के परिणामस्वरूप भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कई सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिये 12 स्थानों पर विभिन्न पैनोरमा और संग्रहालयों के निर्माण की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- युवाओं को राजस्थान की ऐतिहासिक जड़ों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करने हेतु, सरकार देवताओं, महान योद्धाओं तथा संतों के जीवन को प्रदर्शित करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- इस परियोजना के तहत करौली ज़िले के महावीर मंदिर में श्री महावीर पैनोरमा, भरतपुर ज़िले में ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग, अजमेर में जैन मुनि विद्यासागर महाराज पैनोरमा, डीडवाना-कुचामन के कालवा में भक्त शिरोमणि कर्मा बाई पैनोरमा, बीकानेर के कतरियासर में जसनाथ जी पैनोरमा , बालोतरा के बायतु में खेमा बाबा पैनोरमा, चित्तौड़गढ़ में भामाशाह पैनोरमा, जोधपुर में राव चंद्रसेन पैनोरमा, भरतपुर में गोकुला जाट पैनोरमा और जैसलमेर में जैसलमेर पैनोरमा का निर्माण राजस्थान हेरिटेज अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा।
- वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गाँवों के योगदान को याद करने के लिये जयपुर में एक स्मारक के साथ-साथ राजस्थान की वीर नारियों के सम्मान में एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा।

श्री महावीर जी मंदिर

- श्री महावीर जी में पाँच मंदिर हैं। अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी जैनियों के चमत्कारी तीर्थों में से एक माना जाता है।
- यह तीर्थ राजस्थान के करौली ज़िले के हिंडौन ब्लॉक में गंभीर नदी के तट पर स्थित है।
- इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में महावीर की मूर्ति की खोज के बाद एक जैन व्यापारी, श्री अमर चंद बिलाला द्वारा किया गया था।

खेमा बाबा मंदिर

- खेमा बाबा मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो लोक देवता भगवान "सिद्ध श्री खेमा बाबा" को समर्पित है, जो राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के बायतु में एक रेत के टीले के पास स्थित है।
- वह बायतु भोपजी गाँव में पैदा हुए एक समाज सुधारक थे।

चित्तौड़गढ़ के भामाशाह

- भामा शाह एक प्रसिद्ध सेनापति, मंत्री और महाराणा प्रताप सिंह के करीबी सहयोगी थे। उनके द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता ने महाराणा प्रताप को अपनी सेना को बहाल करने और अपने खोए हुए क्षेत्र को पुन: प्राप्त करने की अनुमति दी।
- भामाशाह जयंती प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाई जाती है।
- उदयपुर में उन्हें समर्पित एक स्मारक है। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया।

व्यापार संगठनों ने राजस्थान सरकार से निवेश नीतियों में बदलाव करने का आग्रह किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान में व्यापार निकायों ने राज्य को निवेशक-अनुकूल बनाने के लिये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) जैसी नीतियों को बदलने का अनुरोध किया।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- RIPS नीति में निवेशकों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST), विद्युत शुल्क, भूमि कर, स्टांप शुल्क आदि पर सब्सिडी मिलती है।
- MLUPY योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और रोज़गार सृजन के लिये रियायती बैंक ऋण प्रदान करती है।
- एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के प्रमुख सचिव, उद्योग और वाणिज्य से मुलाकात की।
  - इसमें बताया गया है कि RIPS के तहत ब्याज लाभ सावधि ऋण पर उपलब्ध थे, लेकिन कार्यशील पूंजी ऋण पर नहीं।
  - प्रतिनिधिमंडल ने योजनाओं के बारे में उद्योग-व्यापी जागरूकता कार्यक्रम चलाने का अनुरोध किया।
  - इसने यह भी अनुरोध किया कि भंडारण क्षेत्र को उद्योगों के पूर्वावलोकन के तहत कवर किया जाए।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)

- राज्य में तीव्र, सतत् एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये 17 दिसंबर, 2019 से 'राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019' लागू की गई।
- इसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नए निवेश के लिये 7 वर्ष के SGST, विद्युत कर स्टाम्प ड्यूटी का 75% रिचार्ज भी किया जा रहा है।
  - इसके साथ ही मंडी शुल्क में 100 फीसदी जैसी रियायतें भी दी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)

- यह योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और समाज के सभी वर्गों को रोज़गार सृजन के नए अवसर प्रदान करने के लिये वित्तीय संस्थानों के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- योजना के तहत वित्तीय संस्थानों जैसे (राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्तीय निगम, सिडबी एवं शहरी सहकारी बैंक) के माध्यम से विनिर्माण, सेवा और व्यावसायिक उद्यमों के लिये ऋण प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान के समुदायों पर ज़मीन खोने का खतरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार की एक अधिसूचना ने पश्चिमी राजस्थान में समुदाय के निवासियों के बीच डर पैदा कर दिया है, जो वन उपज और आजीविका तक पहुँच के संभावित नुकसान के बारे में चिंतित हैं।

मुख्य बिंदु:

- समुदाय ओरान (पवित्र उपवन) को वन के रूप में मान्यता देने के राज्य के प्रस्ताव से आशंकित है।
- सरकारी अधिसूचना में घोषणा की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, ओरान, देव वन (पवित्र वन) और रूंड (पारंपरिक रूप से संरक्षित खुले वन) को डीम्ड वन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
  - समुदाय ने "गोचर ओरान रक्षक संघ राजस्थान" संगठन के प्रतिनिधित्व के माध्यम से निर्णय पर आपत्ति जताई है।
  - गाँव के निवासी गोंद, लकड़ी, वन उपज और जंगली सब्ज़ियों के लिये भी जंगल पर निर्भर हैं, जो उनकी आजीविका तथा दैनिक आवश्यकताओं के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - यदि ओरान को वनों के रूप में घोषित किया जाता है, तो लोगों को डर है कि वे अपने समूहों और भेड़ों के लिये वन उपज तथा चरागाह भूमि तक पहुँच खो देंगे।
- अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की भूमि के क्षरण को रोकने के लिये, टी एन भगवानवर्मन मामले, 1996 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को उनकी पहचान करने का निर्देश दिया और यह निर्धारित किया कि डीम्ड वन सहित सभी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत कवर किये जाएंगे।

नोट :

- इस धारा के प्रावधान केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ऐसी वन भूमि पर खनन, वनों की कटाई, उत्खनन या बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं जैसी गैर-वानिकी गतिविधियों पर रोक लगाते हैं।
  - हालाँकि यह व्यक्तियों या समुदायों को चराई या पूजा के लिये जंगल तक पहुँचने से प्रतिबंधित नहीं करता है।

डीम्ड वन

- भारत की लगभग 1% वन भूमि वाले डीम्ड वन एक विवादास्पद विषय हैं क्योंकि वे उन भूमि पथों को संदर्भित करते हैं जो "वन" प्रतीत होते हैं, लेकिन सरकार या ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इसे अधिसूचित नहीं किया गया है।
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 सहित किसी भी कानून में डीम्ड वनों की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
- टी एन गोडवर्मन थिरुमलपाद (1996) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के तहत वनों की एक विस्तृत परिभाषा को स्वीकार किया और माना कि 'वन' शब्द को उसके शब्दकोश अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिये।
  - यह परिभाषा वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी जंगलों को शामिल करती है, चाहे वे वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (1) के उद्देश्य के लिये आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा नामित हों और इसमें स्वामित्व के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज क्षेत्र भी इस परिभाषा में शामिल होंगे।
- वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मामलों के प्रावधान स्वामित्व या वर्गीकरण की परवाह किये बिना सभी वनों पर स्पष्ट रूप से लागू होते हैं।
- यह परिभाषित करने की स्वतंत्रता कि वन का कौन-सा हिस्सा वन के रूप में योग्य है, वर्ष 1996 से राज्यों का विशेषाधिकार रहा है।
  - हालाँकि यह केवल वन भूमि पर लागू होता है जिसे पहले से ही ऐतिहासिक रूप से राजस्व रिकॉर्ड में "वन" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है या सरकार द्वारा "संरक्षित" या "आरक्षित वन" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980

- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 ने निर्धारित किया कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिये केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा उल्लंघन या परमिट की कमी को एक अपराध माना गया।
- इसने वनों की कटाई को सीमित करने, जैवविविधता के संरक्षण और वन्यजीवों को बचाने का लक्ष्य रखा। हालाँकि यह अधिनियम वन संरक्षण के प्रति अधिक आशा प्रदान करता है लेकिन यह अपने लक्ष्य में सफल नहीं था।

ट्रांसमिशन लाइनों से प्रतिबंध हटाने पर विचार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान और गुजरात में उत्पादित सौर ऊर्जा के संचरण के लिये लाइनें स्थापित करने हेतु 67,000 वर्ग किमी. से अधिक क्षेत्र छोड़ने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन कहा कि 13,000 वर्ग किमी. क्षेत्र को अबाधित रहना चाहिये क्योंकि यह लुप्तप्राय पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मुख्य निवास स्थान है।

मुख्य बिंदु:

- 80,000 वर्ग किमी. क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्रों के प्रसारण के लिये ओवरहेड विद्युत केबलों पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र सरकार का आदेश कार्यान्वयन योग्य नहीं है।
- इसके अलावा कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांटों से उत्सर्जन को कम करने के लिये सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने और GIB को विलुप्त होने से बचाने हेतु हर संभव कदम उठाने के बीच संतुलन का सुझाव दिया गया।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (अर्डीओटिस नाइग्रिसप्स), राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है।
- यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चरागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है।
  - इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है।

नोट :

- खतरे:
  - विद्युत लाइनों से टकराव/इलेक्ट्रोक्यूशन, शिकार (अभी भी पाकिस्तान में प्रचलित), आवास का नुकसान और व्यापक कृषि विस्तार आदि के परिणामस्वरूप यह पक्षी खतरे में है।
- सुरक्षा की स्थिति:
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट (IUCN): गंभीर रूप से संकटग्रस्त
  - वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट-1
  - प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS): परिशिष्ट-I
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:

सिंगापुर के राष्ट्रपति जोधपुर पहुँचे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम राजस्थान के जोधपुर में पहुँचे। उनकी भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर हैं।

- भारतीय मूल के अर्थशास्त्री, थर्मन शनमुगरत्नम ने सितंबर 2023 में सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।

मुख्य बिंदु:

- सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री ने अपने सिंगापुर दौरे की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देकर की।
  - उन्होंने देश की प्रमुख कॉर्पोरेट हस्तियों के साथ भी चर्चा की, जिन्होंने अपने निवेश अनुभवों से प्राप्त भारत की विकास कहानी पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

नोट :

- सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के अनुसार, भारत और सिंगापुर के बीच संबंधों का इतिहास मज़बूत वाणिज्यिक, सांस्कृतिक एवं लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर आधारित है। भारत वर्ष 1965 में सिंगापुर को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।
  - भारत और सिंगापुर के बीच संबंध साझा मूल्यों एवं दृष्टिकोण, आर्थिक अवसरों तथा प्रमुख मुद्दों पर हितों के अभिसरण पर आधारित हैं।
  - 20 से अधिक नियमित द्विपक्षीय तंत्र, संवाद और अभ्यास हैं।
  - दोनों देशों के बीच विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक अभिसरण है और दोनों देशों के बीच कई मंचों के सदस्य हैं, जिनमें G20, राष्ट्रमंडल, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) शामिल हैं।

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)

- इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- IORA के सदस्य देश हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में व्यापार, निवेश तथा सतत् विकास से संबंधित विभिन्न पहलों पर कार्य करते हैं।

हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)

- 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' (IONS) एक स्वैच्छिक और समावेशी पहल है, जो समुद्री सहयोग बढ़ाने व क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं को एक साथ लाती है।
- यह प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) सुनिश्चित करने का भी कार्य करती है।

राजस्थान में विश्व का पहला 'ॐ' आकार का मंदिर

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के पाली ज़िले में पवित्र प्रतीक 'ॐ' के आकार का एक सुंदर मंदिर वर्तमान में निर्माणाधीन है। इस प्रतिष्ठित रूप में डिज़ाइन किया गया यह विश्व का पहला मंदिर होगा।

मुख्य बिंदु:

- 'ॐ आकार' मंदिर के नाम से मशहूर यह स्मारकीय संरचना पाली ज़िले के जादान गाँव में नागर शैली में 250 एकड़ के विशाल विस्तार में फैली हुई है।
- सूत्रों के अनुसार यह महत्त्वपूर्ण कार्य वर्ष 1995 में मंदिर की आधारशिला रखने के साथ शुरू हुआ था, जिसके वर्ष 2023-24 तक पूरा होने की उम्मीद जताई गई थी।
  - यह अपने पवित्र परिसर में भगवान महादेव की 1,008 मूर्तियों और 12 ज्योतिर्लिंगों को रखने में सक्षम होगा।
  - 135 फीट की ऊँचाई पर स्थित यह मंदिर 2,000 स्तंभों के सहारे खड़ा है, इसके परिसर में 108 कमरों की व्यवस्था की गई है।
  - मंदिर परिसर की केंद्रीय विशेषता गुरु माधवानंद जी की समाधि है।
  - मंदिर के सबसे ऊपरी खंड में एक गर्भगृह है जो धौलपुर की बंसी पहाड़ी से प्राप्त स्फटिक से निर्मित शिवलिंग से सुशोभित है।
- इस भव्य परियोजना के पीछे दूरदर्शी ओम आश्रम के संस्थापक विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वर नंद पुरीजी महाराज हैं।
- हिंदू धर्म में ॐ मंत्र का अत्यधिक महत्त्व है क्योंकि अनुयायियों द्वारा प्रतिदिन प्रात:काल इस महामंत्र का जाप किया जाता है।

नागर शैली का मंदिर

- उत्तर भारत में यह आम बात है कि पूरा मंदिर एक पत्थर के चबूतरे पर बनाया जाता है और ऊपर तक जाने के लिये सीढ़ियाँ होती हैं।
- इसके अलावा, दक्षिण भारत के विपरीत इसमें सामान्यत: विस्तृत सीमा दीवारें या प्रवेश द्वार नहीं होते हैं।
- जबकि शुरुआती मंदिरों में सिर्फ एक टावर या शिखर होता था, बाद के मंदिरों में कई टावर या शिखर होते थे।
- गर्भगृह हमेशा सबसे ऊँचे टॉवर के ठीक नीचे स्थित होता है।

नोट :

- शिखर के आकार के आधार पर नागर मंदिरों के कई उपविभाग हैं।
- भारत के विभिन्न हिस्सों में मंदिर के विभिन्न हिस्सों के अलग-अलग नाम हैं; हालाँकि साधारण शिखर का नाम जो आधार पर वर्गाकार होता है और जिसकी दीवारें शीर्ष पर एक बिंदु तक अंदर की ओर होती हैं, उसे 'लैटिना' या रेखा-प्रसाद प्रकार का शिकारा कहा जाता है।
- नागरा क्रम में वास्तुशिल्प का दूसरा प्रमुख प्रकार फमसाना है, जो लैटिना की तुलना में व्यापक और छोटा होता है।
- उनकी छतें कई स्लैबों से बनी होती हैं जो धीरे-धीरे इमारत के केंद्र पर एक बिंदु तक उठती हैं, लैटिन छतों के विपरीत जो तेज़ी से बढ़ते ऊँचे टावरों की तरह दिखती हैं।
- नागर भवन के तीसरे मुख्य उप-प्रकार को सामान्यत: वल्लभी प्रकार कहा जाता है।
- ये आयताकार इमारतें हैं जिनकी छत एक गुंबददार कक्ष में उठी हुई है।

अडानी ग्रीन ने राजस्थान में 180 मेगावाट का सौर संयंत्र शुरू किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के जैसलमेर के देवीकोट में 180 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई।

मुख्य बिंदु:

- संयंत्र का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI), भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) के साथ 25 साल का पावर परचेज़ एग्रीमेंट है।
- यह सालाना लगभग 540 मिलियन विद्युत् इकाइयों का उत्पादन करेगा तथा 1.1 लाख से अधिक घरों को बिजली प्रदान कर लगभग 0.39 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन को कम करेगा।
  - मॉड्यूल की बेहतर दक्षता के साथ पूरे दिन सूर्य पर नज़र बनाए रखने के माध्यम से उत्पादन को अधिकतम करने के लिये नेक्स्ट जनरेशन बिफेशियल सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और हॉरिजोंटल सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर्स (HSAT) को तैनात किया गया है।
    - ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा सूर्य के प्रकाश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये HSAT का उपयोग किया जाता है।

नोट :

- यह संयंत्र जलरहित रोबोटिक मॉड्यूल सफाई प्रणालियों से सुसज्जित है, जो जैसलमेर के बंजर क्षेत्र में जल संरक्षण को सक्षम बनाता है।

पावर परचेज़ एग्रीमेंट (PPA)

- यह आमतौर पर एक विद्युत उत्पादक, सरकार या कंपनी के मध्य एक दीर्घकालिक अनुबंध होता है।
- PPA आमतौर पर 5 से 20 वर्ष के मध्य रहता है, इस दौरान विद्युत् खरीदार पूर्व-बातचीत कीमत पर ऊर्जा खरीदता है।
- इस तरह के समझौते स्वतंत्र रूप से स्वामित्व वाले (यानी, उपयोगिता के स्वामित्व वाले नहीं) विद्युत् उत्पादक विशेष रूप से सौर फार्म या पवन फार्म जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादकों के वित्तपोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

गुलाल गोटा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान के जयपुर में लगभग 400 साल पुरानी एक अनोखी परंपरा गुलाल गोटा मनाई गई।

मुख्य बिंदु:

- गुलाल गोटा लाख से बनी एक छोटी गेंद होती है, जिसमें सूखा गुलाल भरा जाता है जिसके बाद इसका वज़न लगभग 20 ग्राम होता है।
- गुलाल गोटा के लिये प्राथमिक कच्चा माल लाख, छत्तीसगढ़ और झारखंड से प्राप्त किया जाता है।
  - गुलाल गोटा बनाने की प्रक्रिया में लाख को पानी में उबालकर उसे लचीला बनाना, आकार देना, रंग मिलाना, गर्म करना और फिर "फूँकनी" नामक ब्लोअर की मदद से इसे गोलाकार आकार में तैयार करना शामिल है।
- गुलाल गोटा जयपुर में मुस्लिम लाख निर्माताओं द्वारा तैयार किया जाता है, जिन्हें मनिहारों के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जयपुर के पास एक शहर बगरू में हिंदू लाख निर्माताओं से लाख बनाना सीखा था।
- भारत सरकार द्वारा लाख की चूड़ी और गुलाल गोटा निर्माताओं को "कारीगर कार्ड" प्रदान किये गए हैं, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- परंपरा को बचाने के लिए, कुछ गुलाल गोटा निर्माताओं ने भौगोलिक संकेत (GI) टैग की मांग की है।

लाख

- यह एक रालयुक्त पदार्थ है जो कुछ कीड़ों द्वारा स्रावित होता है। मादा स्केल कीट लाख के स्रोतों में से एक है।
- 1 किलोग्राम लाख राल का उत्पादन करने के लिए, लगभग 300,000 कीड़े मारे जाते हैं। लाख के कीड़े राल, लाख डाई और लाख मोम भी पैदा करते हैं।
- इसका उपयोग लाख की चूड़ियों के उत्पादन सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है।

भौगोलिक संकेत (GI) टैग

- GI टैग एक ऐसा नाम या चिह्न है जिसका उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से मेल खाते हैं।
- GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति है।
- यह उत्पाद को दूसरों द्वारा कॉपी या नकल किये जाने से भी बचाता है।
- एक पंजीकृत GI, 10 वर्षों के लिए वैध है।
- GI पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :